Telephone : 044 – 28889333, 28415702
E-Mail : investor@iobnet.co.in

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केंन्द्रीय कार्यालय- पोस्ट बॉक्स सं 3765, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002

Indian Overseas Bank
Central Office: P.B. No.: 3765, 763 Anna Salai, Chennai 600 002
Investor Relations Cell

IRC/ 92 /2022-23 23.06.2022

The Vice President
National Stock Exchange Limited
"Exchange Plaza", C-1, Block G
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400 051

Senior General Manager
Dept. of Corporate Services
BSE Limited
Floor 1, P.J. Towers, Dalal Street
Mumbai - 400 001

Dear Sir,

Notice of Annual General Meeting – Disclosure under SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (LODR)

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit Notice of Annual General Meeting to be held on Friday, 15th July, 2022 at 11.00 a.m. at the Central Office of the Bank at 763, Anna Salai Chennai – 600 002 (deemed venue of the AGM) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual means (OAVM).

Please take the same on record.

Yours faithfully,

S Nandakumaran
DGM & Company Secretary

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक INDIAN OVERSEAS BANK Investor Relations Cell, C.O. निवेशक संबंध कक्ष, के.का.

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

Indian Overseas Bank

आपकी प्रगति का सच्चा साथी

Good People to grow with

www.iob.in

वीडियो कान्फ्रेंस (वीसी) अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से बाइसवीं सामान्य वार्षिक बैठक नोटिस का परिशिष्ट

शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई 2022, प्रातः 11.00 बजे

NOTICE OF THE TWENTY SECOND ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Friday, the July 15, 2022 at 11.00 a.m.

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय
निवेशक संबंध कक्ष
763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

वीडियो कान्फ्रेंस (वीसी) अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से बाइसवीं सामान्य वार्षिक बैठक नोटिस का परिशिष्ट

शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई 2022, प्रातः 11.00 बजे

शेयरधारकों को सूचना

इण्डियन ओवरसीज बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 (2008 तक संशोधित) के विनियम 57 के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **इण्डियन ओवरसीज बैंक निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए शुक्रवार दिनांक 15 जुलाई, 2022 को सुबह 11.00 (आईएसटी) बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम)** से अपने शेयरधारकों की बाइसवीं सामान्य वार्षिक बैठक (एजीएम) का आयोजन करेगा ।

सामान्य कार्य

मद संख्या 1 :

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता, बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, तुलन पत्र और खातों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट द्वारा कवर की गई अवधि के लिए उस तिथि को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र एवं खातों पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण करने के लिए:

विशेष कार्य

मद संख्या 2 : इक्विटी पूंजी बढ़ोत्तरी योजना 2022-23

निम्नलिखित संकल्पों पर विशेष संकल्प के रूप में विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर पारित करना:

""संकल्प किया गया है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 **(अधिनियम),** राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2003 **(विनियमन)** 2008 तक यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुक्रम में और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक **(आरबीआइ),** भारत सरकार **(जीओआइ),** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और / या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो वांछित हों, के अनुमोदनों, सहमतियों और मंजूरियों की शर्त पर और उन अनुमोदनों को मंजूरी प्रदान करने में उनके द्वारा यथा निर्धारित निबंधनों, शर्तों और संशोधनों की शर्त पर जिसपर बैंक का निदेशक मंडल सहमत है और जो विनियमों के अनुपालन में है - यथा सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन 2018 **(आइसीडीआर विनियम)** जैसा कि आज की तिथि तक संशोधित है/ दिशानिर्देशों, यदि कोई है, के अनुपालन में है तथा यह कि ये दिशानिर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 **(बीआर अधिनियम),** सेबी **(सूची बाध्य बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ)** विनियमन, 2015 (एलओडीआर)

Indian Overseas Bank

Central Office
Investor Relations Cell
763, Anna Salai, Chennai – 600 002

NOTICE OF THE TWENTY SECOND ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Friday, the July 15, 2022 at 11.00 a.m.

NOTICE TO SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 57 of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (Amended up to 2008) that the Twenty Second **Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Indian Overseas Bank** will be held on **Friday, the July 15, 2022** at **11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC)** / **Other Audio Visual Means (OAVM) to** transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

Item No.1:

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2022, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts:

SPECIAL BUSINESS

Item No.2: Equity capital raising plan 2022-23

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (**Act**), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (**Scheme**) and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended upto 2008 (**Regulations**) and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("**RBI**"), the Government of India ("**GOI**"), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (**ICDR Regulations**) as amended up to date/ guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949 (**B R Act**),

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और अन्य सभी लागू कानूनों व अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों, जो समय समय पर जारी होते हैं, के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी की अधिसूचनाओं / परिपत्रों और स्पष्टीकरणों द्वारा निर्धारित हैं, और जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर निर्धारित हैं, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार की शर्त पर वे आधारित हैं और **विनियमन 4(ए)** के प्रावधानों के अनुसार है, बैंक के शेयरधारकों की एतदर्थ व एतद्द्वारा सहमति बोर्ड के निदेशक मंडल (आगे से जिसे **"बोर्ड"** कहा जाएगा और जिसमें ऐसी कोई भी समिति शामिल रहेगी जिसे बोर्ड ने गठित किया हो या इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का उपयोग करने हेतु बाद में गठित करता हो) को इस आशय से दी जाती है कि वे उस संख्या में इक्विटी/वरीयता शेयरों (संचित/गैर संचित) / प्रतिभूतियों (वरीयता शेयरों की श्रेणी, ऐसे वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, क्या वे निरंतर हैं या मोचनीय हैं या अमोचनीय है, उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके आधार पर वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी का निर्गमण किया जाएगा - से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) को सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित व आबंटित (निश्चित आबंटन पर आरक्षण के लिए प्रावधान और / या उस समय लागू कानून द्वारा यथा अनुमत व्यक्तियों के प्रवर्गों और निर्गम के किसी हिस्से के प्रतिस्पर्धात्मक आधार सहित) कर सके और यह कार्य किसी प्रस्ताव दस्तावेज /या विवरणिका के ज़रिए या फिर भारत अथवा विदेश में इस प्रकार के अन्य दस्तावेज़ के ज़रिए होगा तथा प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य **रु.10 /- प्रति** शेयर होगा और आज की तारीख में किसी भी हालत में **रु. 1,000 करोड़** से अधिक नहीं होगा विधमान प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी बैंक की कुल प्राधिकृत पूँजी के तहत होगी, यह बैंक की कुल प्राधिकृत पूँजी में अधिनियम की धारा 3 (2ए) के अनुसार या फिर उस संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार, जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, बढ़ाई गई प्राधिकृत पूँजी की हद तक, निर्धारित सीलिंग है, वह भी इस तरह कि **केन्द्रीय सरकार का बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी में धारण सभी समय 51% से कम नहीं रहेगा,** चाहे वह एक या अधिक भागों में हो और चाहे बट्टे पर हो या प्रीमियम दर पर या फिर बाजार दर पर, जहाँ आबंटन एक या उससे अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों **("एनआरआइ"),** निजी व सार्वजनिक कंपनियों, निवेशक संस्थाओं, संघों, न्यासों, शोध संगठनों, योग्य संस्थागत खरीदारों **("क्यूआइबी")** जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक **("एफआइआइ"),** बैंक, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल निधियों, उद्यमी पूँजीगत निधियों, विदेशी उद्यम पूँजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या निवेशकों के किसी ऐसे प्रवर्ग को किया जा सकता है, जिन्हें बैंक द्वारा जैसे वह उचित समझे उस रूप में उक्त में से किसी को या संयुक्त रूप में विद्यमान विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार या आइसीडीआर विनियमों के अंतर्गत संस्थागत निवेशकों को बैंक के इक्विटी/वरीयता शेयरों / प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।"

"यह भी संकल्प किया गया कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन सार्वजनिक निर्गम, राइट निर्गम, सेबी के विनियम (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ), 2021 **("एसबीइबी विनियम")** के जरिए कर्मचारियों को इक्विटी शेयर या ऐसा अन्य निर्गम जो कि लागू विधि द्वारा उपलब्ध किया जा सके, अधिमान निर्गम के ज़रिए और / या निजी प्लेसमेंट के आधार पर अति आबंटन विकल्प सहित या विकल्प रहित किया जाएगा

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**LODR**), Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (**SEBI Act**) and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the **Regulations**, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity/preference shares (cumulative / non-cumulative) / securities (in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares , the extent of issue of each class of such redeemable preference shares and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued) of the face value of **Rs.10 each** and in any case not exceeding Rs.**1000 crores** as on date which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of the Bank, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the **Act** or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the **Central Government shall at all times hold not less than 51%** of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("**NRIs**"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") like Foreign Institutional Investors ("**FIIs**"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"**RESOLVED FURTHER** THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, issue of equity shares to employees through SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity)Regulations, 2021 ("**SEBI Regulations**"), preferential issue and/or private

और इस तरह का प्रस्ताव, निर्गम, प्लेसमेंट और आबंटन अधिनियम, आइसीडीआर विनियमन और भा.रि.बैं, सेबी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों तथा लागू अनुसार किसी अन्य प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों और ऐसी पद्धति में, ऐसे समय या समयों पर और ऐसे निबंधनों व शर्तों पर किया जाएगा, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझता हो ।"

"**यह भी संकल्प किया गया** कि अग्रणी प्रबंधकों और/या अधोलेखकों और/या अन्य सलाहकारों अथवा अन्यथा के साथ जहाँ आवश्यक हो वहाँ परामर्श करके ऐसे किसी रूप में जिसे वह उचित समझे, ऐसे मूल्य या मूल्यों को निश्चित करने का प्राधिकार बोर्ड को होगा, और उन निबंधनों और शर्तों पर होगा, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आइसीडीआर विनियमनों, अन्य विनियमनों अथवा अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चित करता है चाहे ऐसे निवेशक बैंक के वर्तमान सदस्य हों कि नहीं और मूल्य का नियतन आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित मूल्य से कम पर नहीं होगा ।"

"**आगे यह भी संकल्प किया गया** कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार के प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रावधानों (लिस्टिंग बाध्यताएं व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015, **("एलओडीआर"),** अधिनियम के प्रावधानों, विनियम के प्रावधानों, आइसीडीआर विनियमन के प्रावधानों, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों और विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत से बाहर रहनेवाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) विनियमन 2000 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रवर्तन विभाग और यथा वांछित अनुसार अन्य सभी प्राधिकारियों (आगे जिनका "समुचित प्राधिकारीगण" के रूप में संदर्भ लिया जाएगा) दिये जाने वाले आवश्यक अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और / या मंजूरियों, की शर्त पर और उन शर्तों पर जोकि ऐसे अनुमोदन, ऐसी सहमति, अनुमति और/या मंजूरी (आगे से जिसे "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत निश्चित करता है, ईक्विटी शेयरों या किन्ही भी प्रतिभूतियों को एक या अधिक किस्तों में समय समय पर निर्गमित प्रस्तावित तथा आबंटित किया जा सकता है केवल उन वारंटों को छोड़कर जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों के साथ विनिमयित किये जा सकते हैं या परिवर्तित किये जा सकते हैं, वह भी इस तरह कि किसी भी समय केन्द्रीय सरकार का धारण बैंक की ईक्विटी पूंजी में 51% से कम न हो और यह प्लेसमेंट या आबंटन क्यूआइबियों (आइसीडीआर विनियमन के अध्याय 2 (एसएस) नियम के अनुसार) को, योग्यताप्राप्त संस्थात्मक प्लेसमेंट (क्यूआइपी) होने के अनुक्रम में जैसा कि आइसीडीआर विनियमन और/ या प्लेसमेंट दस्तावेज़ और/या ऐसे अन्य दस्तावेज़ों / लेखनों / परिपत्रों / ज्ञापनों के द्वारा तथा ऐसे रूप में और ऐसे मूल्य पर, निबंधनों और शर्तों पर , जो कि आइसीडीआर विनियमनों के भाग 6 के अनुसार या कानून के उन अन्य प्रावधानों के अनुसार जो कि उस समय विद्यमान है, बोर्ड द्वारा निश्चित किये गये हैं, बशर्ते इस प्रकार निर्गमित इक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो ।"

placement, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, **ICDR Regulations** and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"**RESOLVED FURTHER** THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations".

"**RESOLVED FURTHER** THAT in accordance with the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("**LODR**") the provisions of the Act, the provisions of Regulations, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Department for promotion of Industry and Internal Trade and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Regulation 2 (ss) of the ICDR Regulations) such as Public financial Institution, foreign portfolio investor, mutual fund, venture capital fund etc. pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP) as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, and through a placement document and/or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations".

"**यह भी संकल्प किया गया** कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए एकीकृत सूचीबद्धता करार और अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों व विनियमनों के नियम व शर्तों के अनुसार बोर्ड को एतद्द्वारा वैसे स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है, को जारी किए गए एक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता हेतु आवश्यक कदम उठाने हेतु प्राधिकृत किया गया है ।

"**यह भी संकल्प किया गया** कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूची करार के प्रावधानों के अनुसार आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VI के क्रम में योग्यता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट के मामले में प्रतिभूतियों का आबंटन आइसीडीआर विनियमनों के अध्याय VI की परिभाषा के भीतर ही योग्यताप्राप्त संस्थागत खरीददारों को किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियाँ पूर्णत: प्रदत्त होंगी और इन प्रतिभूतियों का आबंटन संकल्प की तिथि से 365 दिनों के भीतर या समय- समय पर आईसीडीआर विनियमनों के अंतर्गत अनुमत ऐसे किसी भी नियत किए गए समय पर पूरा कर लिया जाएगा ।"

"**यह भी संकल्प किया गया** कि क्यूआइपी निर्गम के मामले में प्रतिभूतियों के शुरुआती मूल्य पर पाँच प्रतिशत से अनधिक की छूट पर आइसीडीआर विनियमन के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक शेयर देने को प्राधिकृत है तथा प्रतिभूतियो के शुरुआती मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि को आइसीडीआर विनियमनों के अनुसार रखा जाएगा ।"

"**यह भी संकल्प किया गया** कि बोर्ड के पास भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ बैंक के शेयर लिस्ट किये गये हैं या ऐसे अन्य किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और निर्गमों से संबंधित मंजूरियों, आबंटन और उनकी लिस्टिंग, जैसा कि बोर्ड द्वारा सहमत हो, वांछित अथवा निर्देशित अनुसार प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार व अधिकार होगा तथा इस संबंध में बैंक के शेयरधारकों से कोई अन्य अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा ।"

"**यह भी संकल्प किया गया** कि अनिवासी भारतीय/एफआइआइ तथा/ या अन्य पात्र विदेशी निवेश को ऐसे आबंटन और निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की शर्त पर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत किया जाएगा परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर लागू अनुसार ही किया जाएगा ।"

"**यह भी संकल्प किया गया** कि नए इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों का निर्गम और आबंटन, समय-समय पर संशोधित विनियमों के अधीन होगा और बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी तरह से समान रूप से रैंक करेगा, जिसमें घोषित लाभांश, यदि कोई हो तो वैधानिक दिशानिर्देश जो इस तरह की घोषणा के समय लागू होते हैं, के अनुसार होगा ।

"**यह भी संकल्प किया गया** कि इक्विटी/ अधिमान्य शेयरों/ प्रतिभूतियों के ऐसे निर्गम से संबंधित किसी बुक रनर(रों), अग्रणी प्रबंधक(कों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), डिपाज़िटरी(स), रजिस्ट्रार(रों), लेखापरीक्षक(कों) और ऐसे सभी अभिकरणों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाएं निष्पादित करने और ऐसी सभी संस्थाओं और अभिकरणों को कमीशन, दलाली, शुल्क के संबंध में तथा उनके परामर्श से निर्गमों के निबंधनों व प्रकार निर्धारित करने, निवेशकों के संवर्ग सहित जिन्हें शेयर/प्रतिभूति आबंटित किए जानेवाले हैं, उनमें से प्रत्येक वर्ग को आबंटित किए जानेवाले शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (यदि प्रीमियम हो तो वह भी शामिल है), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि / प्रतिभूतियों का परिवर्तन / वारंट बदलना / प्रतिभूतियों की परिपक्वता राशि लेना,

"**RESOLVED FURTHER** THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"**RESOLVED FURTHER** THAT in case of a QIP made pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations, the allotment of Securities shall only be to QIBs within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of passing of this resolution or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time".

"**RESOLVED FURTHER** THAT in case of QIP issue, the Bank in pursuance to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount as prescribed by ICDR Regulations from time to time and relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations".

"**RESOLVED FURTHER** THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board and no further approvals in this regard would be required from the shareholders of the Bank".

"**RESOLVED FURTHER** THAT the issue and allotment, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

"**RESOLVED FURTHER** THAT the issue and allotment of new equity shares / securities, shall be subject to the Regulations as amended from time to time and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares of the Bank including dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration ".

"**RESOLVED FURTHER** THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies, to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like in consultation with them to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/ securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds,

ब्याज दर, परिपक्वता अवधि, प्रतिभूतियों का परिवर्तन या परिपक्वता या निरसन पर ईक्विटी शेयरों / अधिमान्य शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य,प्रतिभूतियों का निर्गम/परिवर्तन पर प्रीमियम / बट्टा, ब्याज दर,परिवर्तन की अवधि, लेखा बंदी और संबंधित या विविध मामलों हेतु रिकार्ड तारीख का नियतन करने, भारत में और /या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज मे सूचीबद्ध करने,जैसे मंडल उचित समझे,के लिए मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए और ऐसे कार्यों, दस्तावेजों और करारों को निष्पादित करने जिन्हें वे आवश्यक,उचित या वांछनीय समझें और सार्वजनिक प्रस्ताव,निर्गम, आबंटन और निर्गम राशि की उपयोगिता के संबंध में कोई संदेह या प्रश्न हो तो उन्हें सुलझाने या अनुदेश देने या निदेश देने हेतु तथा निबंधनों व शर्तों के संबंध में किए जानेवाले ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, बदलावों, जोड़, विलोपनों आदि पर बैंक के हित हेतु अपने विवेकाधिकार में कार्रवाई करने, जिसके लिए बैंक और मंडल को दिए गए सभी या किसी अधिकारों के अनुसार सदस्यों से और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है और इस संकल्प पर मंडल द्वारा कार्य करने हेतु मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए ।"

"यह भी संकल्प किया गया कि ऐसे शेयरों / प्रतिभूतियों जो अभिदानित नहीं हैं, का निपटान बोर्ड द्वारा उसके परम विवेकाधिकार के तहत इस प्रकार किया जाए जैसा बोर्ड उचित समझे और जैसा कानून द्वारा अनुमत हो और यह कि बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए कि वह प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक/(कों) या बनी हुई/ अब से बनाई जाने वाली निदेशकों की समिति को प्रदत्त सभी या कोई एक अधिकार प्रत्यायोजित कर सके कि उपर्युक्त संकल्प प्रभावी हो सके । "

मद संख्या 3. आगे, कर्मचारियों को शेयर जारी करने पर विचार करना:

निम्नलिखित संकल्पों पर **विशेष संकल्प** के रूप में विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970 **(अधिनियम),** राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 **(योजना),** सेबी **"(सूचीबद्ध बाध्यता व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ)** विनियम, 2015 **(एलओडीआर),** 2008 तक संशोधित इण्डियन ओवरसीज़ बैंक **(शेयर व बैठक)** विनियम 2003 **(विनियमन)** और एलओडीआर के अनुसार बीएसई लिमिटेड व नैशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए यूनिफॉर्म लिस्टिंग समझौते के प्रावधानों की शर्त पर (तत्संबंधी किसी संशोधन या उसके अधिनियमन) तथा विनियमों के विनियम 4ए तथा भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2014 (समय समय पर किसी भी सांविधिक संशोधन (ओं), संशोधन (ओं), अधिनियमन समेत) के प्रावधानों के अनुसार है । **(सेबी विनियम)** और **भा.रि.बैं. भारत सरकार, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज के अनुमोदन,** सहमति व मंजूरी के अधीन जिनमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं जहाँ कहीं लागू हों और किसी भी प्राधिकारी के किसी भी लागू अनुमोदन (नों), अनुमति (यों) तथा मंज़ूरी (यों), किसी भी स्तर पर और किसी भी शर्तो व संशोधनों जैसा कि एसे प्राधिकारियों द्वारा ऐसे अनुमोदन (नों), अनुमति (यों) तथा मंज़ूरी (यों) को देते हुए निर्दिष्ट या लगाया गया हो और जो कि बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाए, बोर्ड को ऐसे कर्मचारियों, बेशक वे भारत या विदेश में कार्यरत हों, को एक या अधिक बार में देने, ऑफर करने, निगमन, आबंटन करने के लिए, जो कि बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों **(कर्मचारियों),** जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित हो, उचित प्रीमियम के साथ **रु. 10 प्रति इक्विटी**

documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board as the Board in its absolute discretion deems fit".

"**RESOLVED FURTHER** THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law and that the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director and Chief Executive Officer or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors constituted/hereafter constituted to give effect to the aforesaid Resolutions."

Item No.3: To consider further issue of shares to Employees:

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as a **Special Resolution**:

"**RESOLVED** THAT subject to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (**Act**), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (**Scheme**), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**LODR**), the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended upto 2008 (**Regulations**) and the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited (**Stock Exchanges**) as per LODR (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the **Regulations** and the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity)Regulations, 2021 (including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment from time to time) ("**SEBI Regulations**"), and subject to the approval, consent and sanction of **RBI**, **GOI**, **SEBI**, **Stock Exchange**(s) in which Bank's equity shares are listed, wherever applicable, and subject to any applicable approval(s), permission(s) and sanction(s), at any stage, of any authority and subject to any condition(s) and modification(s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission(s) and sanction(s) and which may be agreed to and accepted by the Board, consent be and is hereby accorded to the Board to grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such permanent employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank ("**The Employees**"), as may be decided by the Board, amounting to Rs.**200 crores with face value of Rs. 10/-** (Rupees Ten only) each with

शेयर अंकित मूल्य के रु. 200 करोड़ की इक्विटी शेयरों, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना के तहत बोर्ड द्वारा निर्धारितानुसार लाभांश के भुगतान समेत सभी संदर्भों में बैंक के मौज़ूदा इक्विटी शेयरों के साथ-साथ ऐसे मूल्य या मूल्यों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारितानुसार ऐसे निबंधन व शर्तों पर सहमति को इस प्रकार दर्ज़ किया जाता है कि किसी भी समय भारत की केंद्र **सरकार की हिस्सेदारी बैंक की पूर्ण रूप से प्रदत्त एक्विटी पूंजी के 51%** से कम न हो ।"

"इसके **अतिरिक्त संकल्प लिया जाता है** कि बैंक भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2021 के विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों या किसी सांविधिक आशोधन(नों), संशोधन (नों) या उसके अधिनियमन का पालन करेगा ।"

"इसके **अतिरिक्त बोर्ड** को स्टॉक एक्सचेंज के साथ शामिल एकरूप सूचीबद्ध करार के निबंधन व शर्तो व अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार स्टॉक **एक्सचेंजों जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं "इण्डियन ओवरसीज़ बैंक –कर्मचारी शेयर खरीद योजना, 2022-23 (आइओबी -ईएसपीएस 2020-21)"** के तहत आबंटित इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग के लिए आवश्यक कदम उठाने को प्राधिकृत करने का **संकल्प लिया जाता** है।"

"इसके अतिरिक्त बोर्ड को ऐसे निबंधन व शर्तो, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित हो, पर **"आइओबी -ईएसपीएस 2022-23"** के कार्यान्वयन, गठन, प्रभाव में लाने तथा समय-समय पर **"आइओबी -ईएसपीएस 2022-23"** के निबंधन व शर्तो में संशोधन, परिवर्तन करने के लिए, जिसमें कीमत, अवधि, पात्रता मानदंड या **"आइओबी -ईएसपीएस 2022-23"** को इस तरीके से जैसे कि बोर्ड अपने विवेकाधिकार में निर्णय करे, सस्पेंड, आहरण, निरस्त या संशोधित करना शामिल है , और साथ ही **"आइओबी -ईएसपीएस 2022-23"** के कार्यान्वयन तथा प्रस्तावित "आइओबी -ईएसपीएस 2022-23" के अनुपालन में ज़ारी शेयरों के संबध में उठे प्रश्नों, कठिनाइयों या संदेहों के निपटान हेतु, जिसमें शेयरधारकों की अन्य सहमति या अनुमोदन **अपेक्षित** नहीं है या शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकारी द्वारा अपना अनुमोदन दे दिया है समझा जाएगा, प्राधिकृत करने का **संकल्प लिया जाता** है ।"

"इसके अतिरिक्त यह सकंल्प लिया जाता है कि निदेशकों की समिति (यों), प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (को) या बैंक के कुछ अन्य अधिकारी (यों) को इसमें प्रदत्त सभी या कुछ अधिकारों को प्रत्यायोजित करने के लिए बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए जो कि भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ एवं स्वेट ईक्विटी) विनियमन, 2021 व अन्य लागू विधि के अनुपालन में उक्त संकल्प को प्रभावित करने के लिए उपयुक्त माने जाए।"

कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : चेन्नै **(पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता)**

appropriate premium, ranking pari-passu with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, as may be decided by the Board under an Employee Stock Purchase Scheme), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion in such a way that the **Central Government of India shall at all times hold not less than 51%** of the paid-up Equity capital of the Bank."

"**RESOLVED FURTHER** THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021or any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment thereof."

"**RESOLVED FURTHER** THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares allotted under the "**Indian Overseas Bank – Employee Stock Purchase Scheme, 2022-23 (IOB-ESPS 2022-23)**", on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"**RESOLVED FURTHER** THAT the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "**IOB-ESPS 2022-23**" on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification(s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the "**IOB-ESPS 2022-23**", from time to time, including but not limited to, amendment(s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "**IOB-ESPS 2022-23**" in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "**IOB-ESPS 2022-23**" and to the shares to be issued pursuant to the proposed "**IOB-ESPS 2022-23**" without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by authority of this resolution."

"**RESOLVED FURTHER** THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Committee(s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution in compliance to SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity)Regulations, 2021and other applicable laws.

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

-sd/-

Place: Chennai **(Partha Pratim Sengupta)**

Date : June 15, 2022 Managing Director & CEO

नोट्स

क) कोविड -19 महामारी के मद्देनज़र , एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) ने अपने परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित अप्रैल 08, 2020, संख्या 17/2020 दिनांकित अप्रैल 13, 2020, संख्या 20/2020 दिनांकित मई 05, 2020 व संख्या 02/2021 दिनांकित जनवरी 13, 2021, संख्या 21/2021 दिनांकित दिसंबर 14, 2021 एवं सं.02/2022 दिनांकित मई 05, 2022 सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 21/ सीआईआर/ पी/ 2020/ 79 दिनांकित मई 12, 2020 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआईआर/ पी/ 2021/ 11 दिनांकित जनवरी 15, 2021, सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआईआर/ पी/ 2022/ 62 दिनांकित मई 13, 2022sss के माध्यम से कंपनियों को 31 दिसंबर 2022 की अवधि तक शेयरधारकों की प्रत्यक्ष मौजूदगी के बिना ही वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम का आयोजन करने की अनुमति प्रदान की है । सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियमन) के प्रावधानों और एमसीए द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में बैंक वीडियो कॉफ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य श्रव्य (ओएवीएम) के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन कर रहा है । अत: शेयरधारक एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ही प्रतिभागिता कर सकते हैं ।

बैंक ने **केंद्रीय डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को एजीएम** हेतु वीसी/ ओएवीएम सुविधा प्रदान करने और एजीएम के आयोजन करने हेतु सुविधा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया है ।

सेबी एवं एमसीए के उपर्युक्त परिपत्रों में वर्णित दिशानिर्देशों के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 सहित एजीएम नोटिस की सूचना उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही प्रेषित की जाएगी जिनके ई-मेल पते बैंक/ डिपोजिटरी के पास पंजीकृत हैं । शेयरधारक यह नोट कर सकते हैं कि यह नोटिस बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर अपलोड किया गया है । वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 सहित नोटिस को स्टॉक एक्सचेजों यानि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.nseindia.com एवं www.bseindia.com से प्राप्त किया जा सकता है एवं एजीएम नोटिस सीडीएसएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है ।

ख. भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले शेयरधारक एजीएम नोटिस प्राप्त करने हेतु https://investors.cameoindia.com लिंक पर क्लिक कर अस्थाई रूप से अपना ईमेल आइडी पंजीकृत कर सकते हैं । बैठक का आयोजन 763, अण्णा सालै , चेन्नै -600002 में स्थित बैंक के केंद्रीय कार्यालय में किया जाएगा ।

ग. व्याख्यात्मक विवरण :

बैठक की कार्रवाई के संबंध में भौतिक तथ्यों का व्याख्यात्मक विवरण यहाँ संलग्न है ।

घ. मताधिकार :

अधिनियम की धारा 2 के उपखंड 2ई के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा समवर्ती नए बैंक का **कोई भी शेयरधारक** अपनी कितनी भी शेयरधारिता के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग

NOTES

a) In view of the continuing Covid-19 pandemic, MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, & Circular No. 02/2021 dated13th January, 2021 Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 and SEBI vide circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/ 79 dated 12th May, 2020 & circular no. SEBI/HO/CFD/CMD21/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CR/P/2022/62 dated 13th May 2022 has permitted companies to hold their AGM through VC/OAVM for period upto December 31, 2022 without the physical presence of the shareholders. In compliance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA circulars, the Bank is holding the Annual General Meeting through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM). Hence, Shareholders can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only.

The Bank has appointed **Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)** to provide VC/OAVM facility for the AGM and as the attendant enablers for conducting of the AGM.

In line with the aforesaid SEBI and MCA Circulars, the Notice of AGM along with Annual Report 2021-22 is being sent through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depositories, and in physical on request. Shareholder may note that that Notice and Annual Report 2021-22 have been uploaded on the website of the Bank at www.iob.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and the AGM Notice is also available on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evotingindia.com.

b) Shareholders holding shares in physical mode may temporarily register their e-mail Ids by clicking on the link https://investors.cameoindia.com to get the soft copy of the Notice of AGM. The Central office of the Bank at no. 763, Anna Salai, Chennai – 600 002 shall be the deemed venue for the meeting.

c) EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

d) VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2-E) of Section 3 of the Act, **no shareholder** of the corresponding new bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise

अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकारों के प्रयोग के लिए प्राधिकृत नहीं होंगे ।

निर्धारित की गई अंतिम तिथि **शुक्रवार, दिनांक 8 जुलाई 2022 तक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत** प्रत्येक शेयरधारक उपर्युक्त उद्देश्य के लिए एजीएम में प्रतिभागिता के लिए पात्र होंगे । भौतिक अथवा अमूर्त रूप में शेयरों को धारण करने वाले बैंक के शेयरधारक अंतिम तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं ।

विनियमन के विनियम 10 के अनुसार मतदान के संबंध में किसी भी शेयर के दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर होने की स्थिति में जिस व्यक्ति का नाम पंजी में पहले दर्ज़ होगा उसे ही मूल धारक समझा जाएगा । अत: शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर होने की स्थिति में केवल पहला नामित व्यक्ति ही बैठक में सहभागिता का हकदार होगा और केवल वह ही दूसरस्थ माध्यम से कार्यसूची पर या तो ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान हेतु पात्र होगा ।

ङ.दूरस्थ ई- वोटिंग

सेबी विनियमन, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 (एलओडीआर) एवं एमसीसी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित अप्रैल 08, 2020, संख्या 17/2020 दिनांकित अप्रैल 13, 2020, सं 20/2020 दिनांकित मई 05, 2020, संख्या 22/2020 दिनांकित जून 15, 2020 एवं परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांकित सितम्बर 28, 2020 एवं परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांकित दिसंबर 31, 2020 तथा सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआईआर/ पी/ 2020/ 79 दिनांकित मई 12, 2020 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआईआर/ पी/ 2021/ 11 दिनांकित जनवरी 15, 2021 का संदर्भ लेते हैं और स्टॉक एक्सचेंज के साथ एकीकृत सूचीबद्ध समझौते के अनुसार बैंक ने नोटिस में वर्णित मद पर शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रुप में मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए ने **केन्द्रीय डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)** को रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी के रुप में नियुक्त किया है । रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है । शेयरधारकों / लाभार्थियों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के संबंध में ही उनके मताधिकारों को गणना के लिए शुक्रवार दिनांक 08 जुलाई 2022 को अंतिम के रूप में लिया जाएगा । बैंक के शेयरधारक जिनके पास अंतिम तिथि तक बैंक के शेयर भौतिक या अमूर्त रुप में हैं, अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रुप में डाल सकते हैं । बैंक ने मेसर्स आर. श्रीधरन एवं एसोसिएटस के श्री आर. श्रीधरन, कंपनी सचिव (एफसीएस सं. 4775) (सीपी. सं. 3239) को रिमोर्ट वोटिंग प्रक्रिया तथा एजीएम के दिन ई-वोटिंग प्रक्रिया सही एवं निष्पक्ष रुप में आयोजित करने के लिए जाँचकर्ता के रुप में नियुक्त किया है ।

1. **रिमोट ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नलिखित हैं:**

   (i) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, दिनांक 12 जुलाई 2022 को सुबह 09.00 (आईएसटी) बजे से शुरु होगी और वृहस्पतिवार दिनांक 14 जुलाई 2022 को सायं 05.00 बजे (आइएसटी) को समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान

voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the bank**.

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder as on **Friday, July 8, 2022 being the Cut-off Date** will be eligible to participate in AGM for the said purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person only is entitled to participate in the meeting and is eligible to cast vote on the agenda either through remote e-voting or e-voting at the AGM.

e) REMOTE E-VOTING

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 (as amended) and MCA circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, & Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 and SEBI vide circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/ 79 dated 12th May, 2020 & circular no. SEBI/ HO/CFD/CMD21/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CR/P/2022/62 dated 13th May 2022 and the Uniform Listing Agreements with stock exchanges, your Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to enable shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed **Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)** as e-voting agency to provide the remote e-voting platform. Remote E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Friday, July 08, 2022 being the Cut-off Date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically. The Bank has appointed Mr. R. Sridharan of M/s R Sridharan & Associates, Company Secretaries (FCS No. 4775) (CP. No. 3239), as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as the e-voting process on the date of the AGM in a fair and transparent manner.

1 THE INTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:

(i) The remote e-voting period begins on Tuesday, July 12, 2022 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Thursday, July 14, 2022 at 5:00 p.m. (IST). During this period shareholders of the Bank, holding shares either in

निर्धारित की गई अंतिम तिथि शुक्रवार, दिनांक 8 जुलाई 2022 तक भौतिक अथवा अमूर्त रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्टॉनिक मतदान कर सकते हैं । इसके बाद सीएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल को बंद कर दिया जाएगा ।

(ii) ऐसे शेयरधारक जो बैठक तिथि से पहले ही मतदान कर चुके हैं, वे इस बैठक में मतदान के हकदार नहीं होंगे ।

(iii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के तहत सेबी परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी/ सीआईआर/ पी/ 2020/ 242 दिनांक 09.12.2020 के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को सभी शेयरधारकों के प्रस्तावों के संबंध में अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यक है । तथापि, यह देखा गया है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/ खुदरा शेयरधारकों की भागीदारी नगण्य स्तर पर है ।

वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाले कई ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं । इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण और कई यूजर आईडी और पासवर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होती है ।

सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, **सभी डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/ डिपॉजिटरी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-वोटिंग हेतु सक्षम करने का निर्णय लिया गया है ।** डीमैट खाताधारक ईएसपी के साथ फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने की आसानी और सुविधा भी बढ़ेगी ।

सेबी के परिपत्र सं. सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी/ सीआईआर/ पी/ 2020/ 242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा परडीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है । ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें । सेबी परिपत्र सेवी /एचओ एमआई आर एस एम आर और एस डी आर टी ए एम पी/परि/2021/655 दिनांकित 3.11.2011 के अनुसार, सभी भौतिक शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे रजिस्ट्रार के साथ पैन, के वाइसी एवं नामांकन अद्यतन कर लें, चूक होने पर फोलियो फ्रीज कर दिया जाएगा।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड **सीडीएसएल/ एनएसडीएल में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग** और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है :

physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off date on July 08, 2022 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting.

(iii) Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020, under Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholder's/retail shareholders is at a negligible level.

Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.

In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to **all the demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants**. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

In terms of **SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020** on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility. As per SEBI CIRCULAR SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated 3.11.2021, all physical shareholders are advised to update PAN, KYC & NOMINATION with registrar, failing which will result in freezing of folios.

Pursuant to abovesaid SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings **for Individual shareholders holding securities in Demat mode CDSL/NSDL** is given below:

शेयर धारकों का प्रकार	लॉगइन प्रक्रिया
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1) जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल आसान/ सबसे आसान सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं । वहाँ बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा । उपयोगकर्ताओं के लिए ईज़ी/ईज़ीएस्ट में लॉग इन करने के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login हैं अथवा वे www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगइन आइकन पर क्लिक करें और न्यू सिस्टम माईसी का चयन करें ।
	2) सफल लॉगिन के बाद ईज़ी/ईज़ीएस्ट उपयोगकर्ता जहां इवोटिंग चल रही है ऐसी कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे । ई-वोटिंग के विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा । इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं यानी सीडीएसएल/ एनएसडीएल/ कार्वी/ लिंकइनटाइम की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें ।
	3) यदि उपयोगकर्ता ईज़ी/ईज़ीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है ।
	4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं या https://evoting.cdslindia.com/Evoting/ पर क्लिक कर सकते हैं । ई-वोटिंग प्रणाली पंजीकृत मोबाइल और ईमेल, जोकि डीमैट खाते में दर्ज है, पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित कर सकेंगे । सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता उस ई-वोटिंग विकल्प को देखने में सक्षम होगा जहाँ वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली को सीधे एक्सस करने में भी सक्षम होगा ।
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1) यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर जाएं या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर जाएं । या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें । एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लाग इन" के तहत

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL**	1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or visit www.cdslindia.com and click on Login icon and select New System Myeasi.
	2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers i.e. CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly.
	3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration
	4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page or click on https://evoting.cdslindia.com/Evoting/EvotingLogin The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with **NSDL**	1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the "Login" which is available under 'IDeAS'

	"बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें, जो "आइडीएएस" सेक्सन के तहत उपलब्ध है । एक नई स्क्रीन खुलेगी । आपको अपना यूज़र आइडी और पासवर्ड डालना होगा । सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे । ई-वोटिंग सेवाओं के तहत 'एक्सेस टू ई-वोटिंग' पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदता वेबसाइट पर पुन: निर्देशित किया जाएगा ।		section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
	2) यदि उपयोगकर्ता आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है । "आईडीईएएस" पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें ।		2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp
	3) पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलें और निम्नलिखित URL टाइप करके https://www.evoting.nsdl.com/ एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं । ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है । एक नई स्क्रीन खुलेगी । जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा । सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं । कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा ।		3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) अपने **डिपॉजिटरी प्रतिभागियों** के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं ।	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं । सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे । एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं । कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा ।	Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their **Depository Participants**	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूजर आईडी / पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए विकल्प का उपयोग करें ।

लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल है ।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगइन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध प्रेषित करें या टोल फ्री नं: 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं ।
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक।	लॉगइन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध प्रेषित कर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं ।

2. **भौतिक शेयरधारकों और डीमेट रूप में वैयक्तिक धारक के अतिरिक्त शेयरधारकों** के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक से जुड़ने हेतु लॉगइन पद्धति :

(i) ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों को वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉगऑन करना चाहिए ।

(ii) शेयरधारक मॉड्यूल पर क्लिक करें ।

(iii) अब अपनी यूजर आइडी प्रविष्ट करें ।

क. सीएसडीएल के लिए : 16 अंकीय लाभार्थी आईडी

ख .एनएसडीएल के लिए : 8 वर्णों की डीपी आईडी जिसके बाद 8 अंकीय ग्राहक आईडी जुड़ी हो

ग. भौतिक रूप से शेयरधारित करने वाले शेयरधारक को बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या प्रविष्ट करनी चाहिए ।

(iv) इसके बाद प्रदर्शित किए गए इमेज वेरिफिकेशन को प्रविष्ट करें और लॉगिन पर क्लिक करें ।

(v) यदि आपके पास शेयर डीमेट रुप में है और आप www.evotingindia.com पर लॉगऑन कर पहले किसी अन्य कंपनी की वोटिंग में वोट डाल चुके हैं तब आपके मौजूदा पासवर्ड का ही प्रयोग किया जाना है ।

(vi) यदि आप पहली बार प्रयोग कर रहे हो तो निम्नलिखित का पालन करें :

	डीमेट और भैतिक रुप में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों के लिए
पैन	• आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक पैन प्रविष्ट करें (दोनों डीमेट और भौतिक रुप से शेयर धारित करने वालों पर लागू)

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or at toll free No. 1800 22 55 33.
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

2. Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.

(i) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(ii) Click on "Shareholders" module.

(iii) Now enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

(iv) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(v) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.

(vi) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat.
PAN	• Enter your 10-digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)

	• शेयरधारकों जिन्होंने अपना पैन कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अद्यतन नहीं करवाया है उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी/ आरटीए द्वारा प्रेषित क्रम संख्या का उपयोग करें या कंपनी/ आरटीए से संपर्क करें ।
लाभांश बैंक विवरण **अथवा** जन्मतिथि (डीओबी	• लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीओबी) लॉगिन करने के लिए लाभांश बैंक या जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई प्रारूप में) प्रविष्ट करें जैसी कि आपके डीमेट खाते में दर्ज है । • यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक के पास दर्ज नहीं है तब कृपया लाभांश बैंक विवरण के खाली स्थान में (V) में दिए अनुदेशों के अनुसार सदस्य आइडी / फोलियो संख्या प्रविष्ट करें ।

(v) इन विवरणों को सही प्रकार से भरने के बाद "सबमिट" टैब पर क्लिक करें ।

(viii) भौतिक रुप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों इसके बाद सीधे कंपनी चयन की स्क्रिन पर पहुँच जाएंगे । हालंकि, डीमैट रुप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक 'पासवर्ड क्रिएशन' मेन्यू पर पहुँचेंगे यहाँ उन्हें अपना लॉगिन और पासवर्ड, नए पासवर्ड फील्ड में, अनिवार्य रुप से प्रविष्ट करना होगा । कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड को डीमैट शेयरधारकों द्वारा अन्य कंपनियों के संकल्पों की वोटिंग के लिए, जिनके लिए वे वोट के पात्र हैं, इस्तेमाल किया जाएगा बशर्ते कि कंपनी ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के प्लेटफार्म का विकल्प चुनती है । यह जोर देकर बताया जा रहा है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य के साथ साझा नहीं करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें ।

(xii) भौतिक रुप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण सिर्फ इस नोटिस में मौजूद संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है ।

(x) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के **ईवीएसएन 220616013** पर क्लिक करें ।

(xi) मतदान पृष्ठ पर, आपको "संकल्प विवरण" दिखेगा और मतदान के लिए उसके प्रति हाँ / नहीं विकल्प उपलब्ध होगा । इच्छा अनुसार हाँ / नहीं का चयन करें । विकल्प हाँ का तात्पर्य है कि आपने संकल्प को अनुमति प्रदान की और विकल्प नहीं का तात्पर्य है कि आपने संकल्प को अनुमति नहीं प्रदान की ।

(xii) यदि संकल्प का सम्पूर्ण विवरण देखना चाहते हैं तो "संकल्प फाइल लिंक" पर क्लिक करें ।

(xiii) संकल्प के चयन के बाद आपको वोट डालने का निश्चय करना है और फिर "सबमिट' पर क्लिक करना है । एक पुष्टि बॉक्स आपके सामने प्रदर्शित होगा । यदि आप अपने मत को पुष्ट करना चाहते हैं तो "ओके" को क्लिक करें अन्यथा अपना मत बदलने के लिए "कैंसिल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना मत बदलें ।

(xiv) एक बार अपने मत की पुष्टि करने के बाद अपको मत में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

	• Shareholders who have not updated their PAN with the Company/ Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/ RTA.
Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).

(vii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(viii) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(ix) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(x) Click on **EVSN 220616013** of Indian Overseas Bank.

(xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/ NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiii) After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xiv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xv) आप मतदान पेज पर "क्लिक हियर टू प्रिंट" विकल्प से डाले गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं ।

(xvi) यदि कोई डीमैट खाता धारक अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गया है तो उसे फोरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा तथा वहाँ यूज़र आइडी और इमेज वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करना होगा ।

ऐसे शेयरधारक जिनका ई-मेल एड्रेस डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, के लिए इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्प के लिए ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण प्राप्त करने की प्रक्रिया :

भौतिक रुप में शेयर धारित करने की स्थिति में – कृपया आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे व पीछे) की स्कैनड प्रति, पैन (स्वत: प्रमाणित पैन कार्ड की स्कैनड प्रति), आधार (स्वत: प्रमाणित आधार कार्ड की स्कैनड प्रति) ई-मेल के माध्यम से **investor@cameoindia.com ; agm@cameoindia.com** पर प्रेषित करें ।

डीमेट शेयरधारकों के लिए – कृपया अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नम्बर संबंधित डिपोजिटरी भागीदारों (डीपी) के साथ अद्यतित करें ।

वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए - कृपया अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नम्बर संबंधित डिपोजिटरी भागीदारों (डीपी) के साथ अद्यतित करें, जो कि डिपोजिटरी के माध्यम से ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक से जुड़ने के दौरान अनिवार्य है ।

3 **वीसी / ओएवीएम व ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम / ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नवत है:**

1. एजीएम के दिन बैठक एवं ई-वोटिंग में उपस्थित रहने का वही अनुदेश है, जो उपर्युक्त ई-वोटिंग के लिए उद्‌त है ।
2. ई-वोटिंग के लिए उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद, जहाँ बैंक का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा वही पर बैठक में भाग लेने हेतु वीसी / ओएवीएम के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा ।
3. शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि बेहतर अनुभव के लिए बैठक में लैपटॉप / आइपैड के माध्यम से जुड़ें ।
4. आगे शेयरधारक को बैठक के दौरान कैमरा को अनुमति देना आवश्यक होगा और किसी बाधा से बचने के लिए अच्छे स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करें ।
5. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लेपटॉप द्वारा हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ने वाले प्रतिभागी उनके संबंधित नेटवर्क में उतार – चढ़ाव आने के कारण श्रव्य/ दृश्य संबंधी बाधा का अनुभव कर सकते हैं । इसलिए सुझाव दिया जाता है कि उपर्युक्त किसी भी प्रकार गड़बड़ी से बचने के लिए स्टेबल वाई-फाई या लैन कनेक्शन का प्रयोग करें ।
6. शेयरधारक सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए ईजीएम बैठक शुरूआत होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले या बाद में वीसी / ओएवीएम मोड के माध्यम से जुड़ सकते हैं । वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में प्रतिभागिता करने की सुविधा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 1,000

(xv) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvi) If a demat account holder has forgotten the login password, then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTION PROPOSED IN THIS NOTICE:

In case shares are held in physical mode- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to **investor@cameoindia.com; agm@cameoindia.com**

For Demat shareholders -, Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)

For Individual Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

3. INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM & E-VOTING DURING MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for e-voting.
2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for e-voting.
3. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
4. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
5. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
6. The Shareholders can join the AGM through the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1,000 shareholders on first come first served basis. This will not include

शेयरधारकों के लिए उपलब्ध होगा । इसमें वृहत्त शेयरधारकों (शेयरधारकों जिन्होंने 2 % या उससे अधिक शेयरधारण कर रखा है), प्रमोटर, संस्थान निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबन्धन कार्मिक, लेखा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं हितधारकों संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि को नहीं जोड़ा जाएगा, जिन्हें ईजीएम में बिना किसी प्रतिबंध पहले आएँ -पहले पाएँ आधार पर भाग लेने की अनुमति है ।

7. वे शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपना विचार प्रकट करना / प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें स्वयं को सोमवार, दिनांक **11 जुलाई, 2022** तक या उससे पहले स्पीकर के रूप में पंजीकृत करने के लिए, अपना निवेदन investor@iobnet.co.in पर तथा **investor@cameoindia.com** को कॉपी मार्क करते हुए अपना नाम, डिमेट खाता संख्या / फोलिओ संख्या, ई-मेल आइडी, मोबाइल नंबर भेजना है । वे शेयरधारक जो ईजीएम के दौरान बात नही करना चाहते हैं परंतु उनका कोई प्रश्न है, तो वे investor@iobnet.co.in पर तथा **investor@cameoindia.com ; agm@cameoindia.com** को कॉपी मार्क करते हुए अपना नाम, डिमेट खाता संख्या / फोलिओ संख्या, ई-मेल आइडी, मोबाइल नंबर लिखकर अग्रिम रूप से सोमवार, दिनांक **11 जुलाई, 2022** तक या उससे पहले भेज सकते हैं । बैंक द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर ई-मेल द्वारा उपयुक्त ढंग से दी जाएगी ।

8. वे शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपना विचार प्रकट करना / प्रश्न पूछना चाहते हैं तथा स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किये हैं, सिर्फ उन्हीं को बैठक के दौरान अनुमति दी जाएगी ।

9. इण्डियन ओवरसीज बैंक (शेयर व बैठक) विनियमन, 2003 के नियम 58 के अंतर्गत वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में प्रतिभागिता करने वाले शेयरधारकों की गिनती कोरम के उद्देश्य से की जाएगी ।

10. सिर्फ वे शेयरधारक, जो वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपस्थित हो रहे हैं और वे जो अपना वोट संकल्प पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से नहीं दे पाए हैं और वे जिन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वे ही एजीएम के दौरान ई-वोटिंग पद्धति के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे ।

11 एक बार सदस्य द्वारा संकल्प पर वोट कर देने के पश्चात, उसे सदस्य बाद में न ही बदल सकते हैं या न ही पुन: वोट दे सकते हैं ।

12 यदि कोई भी वोट शेयरधारकों द्वारा एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से दिया जाता है और यदि वह शेयरधारक वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में प्रतिभागिता नहीं किये हैं, तब ऐसे शेयरधारक द्वारा दिया गया वोट मान्य नहीं है जैसा कि ई-वोटिंग की सुविधा ईजीएम बैठक के दौरान उपस्थित होने वाले बैठक में प्रतिभागिता करने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है ।

13. वे शेयरधारक जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट किये हैं, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे । तथापि वे एजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे ।

अवैयक्तिक शेयरधारकों एवं अभिरक्षकों के लिए नोट

- अवैयक्तिक शेयरधारक (यानि वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) और संरक्षक www.evotingindia.com

large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance on or before Monday, **July 11, 2022** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor@iobnet.co.in with marking copy to **investor@cameoindia.com**/ agm@cameoindia.com The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance **by Monday, July 11, 2022** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor@iobnet.co.in with marking copy to **investor@cameoindia.com**/ **agm@cameoindia.com**. These queries will be replied to by the Bank suitably by email.

8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

9. The shareholders attending the AGM through VC/ OAVM will be counted for the purpose reckoning the quorum under Regulation 58 of Indian Overseas Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003.

10. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.

11. Once the vote on the resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

12. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

13. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to

पर लॉग इन करें और स्वयं को "कार्पोरेट" मॉड्यूल में पंजीकृत करें ।

- पंजीकरण फार्म की स्कैंड प्रति जिस पर इकाई का स्टैंप और हस्ताक्षर अंकित होता है, उसे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें ।
- लॉग इन विवरण प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉग इन और पासवर्ड की मदद से एक अनुपालित उपयोगकर्ता का सृजन करें । अनुपालित उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक कर सकेगा, जिसके लिए वह वोट करना चाहता है ।
- लॉग इन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल करें और खातों के अनुमोदन मिलने पश्चात, वे अपना वोट डाल सकेंगे ।
- बोर्ड संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) की स्कैंड प्रति जिसे उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई है तो, उसे पीडीएफ प्रारूप में संवीक्षक द्वारा जाँच के लिए सिस्टम पर अपलोड करें ।
- वैकल्पिक रुप से, अवैयक्तिक शेयरधारकों को जो वोट देने के लिए प्राधिकृत हैं, उन्हें संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर उनके नमूना हस्ताक्षर के साथ संवीक्षक को भेजें और यदि वे वोट वैयक्तिक टैब पर दिए हैं और सीडीएसएल ई-वोटिंग पद्धति में उसे संवीक्षक द्वारा सत्यापित करने के लिए अपलोड न किया गया हो तो बैंक को ई-मेल यानि investors@iobnet.co.in पर भेजें साथ ही कॉपी मार्क investor@cameoindia.com **और rsaevoting@gmail.com** को करें ।

यदि आपको ई-वोटिंग पद्धति से ईजीएम एवं ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या हैं तो आप www.evotingindia.com पर अक्सर पूछे गए प्रश्नों ("एफएक्यू") और सहायता अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल कर सकते हैं या फोन पर श्री नीतीन कुंदर (022- 2305 8738) या श्री राकेश डाल्वी (022- 2305 8542) से संपर्क कर सकते हैं ।

वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की सुविधा से संबंधित सभी शिकायत के लिए श्री राकेश डाल्वी, प्रबन्धक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि., ए विंग, 25 वाँ तल, मैराथन फ्युचरेक्स, मोफटलाल मिल कंपाउंड, एन. एम जोशी मार्ग, लोअर पेरेल (पूर्वी), मुम्बई – 400 013 को प्रेषित करें या ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेजें या टेलीफोन नं. 022 – 23058542/8738 पर संपर्क करें ।

च. प्रॉक्सी की नियुक्ति: :

पूर्वोक्त परिपत्रों के अनुरुप, इस एजीएम के लिए शेयरधारकों के पक्ष में वोट देने या प्रॉक्सी में भाग लेने की नियुक्ति संबंधी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जैसे कि वह वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित हो रहा है । तदनुसार, इस नोटिस के साथ प्रॉक्सी फार्म और उपस्थिति स्लिप संलग्न नहीं है ।

छ. अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

बॉडी कार्पोरेट ईजीएम में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और उस समय भाग ले सकता है और ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे सकता है । संस्थान / कार्पोरेट शेयरधारक (यानि वैयक्तिक

www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.

- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; at investor@iobnet.co.in with marking copy to **and rsaevoting@gmail.com**, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/8738.

f) APPOINTMENT OF PROXY:

Pursuant to the aforesaid circulars, the facility to appoint proxy to attend and cast vote on behalf the shareholders is not available for this AGM, as it is being held through VC/OAVM. Accordingly, the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

g) APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

Body Corporates are entitled to appoint authorized representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.

/ एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को अपने बोर्ड संकल्प या शासकीय निकाय संकल्प / प्राधिकरण आदि की स्कैंड प्रति (पीडीएफ / जेपीइजी प्रारूप) भेजना आवश्यक है, जिससे कि वे अपने प्रतिनिधि को वीसी / ओएवीएम के माध्यम से अतिरिक्त सामान्य बैठक में भाग लेने के लिए आपकी ओर से और ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए अधिकृत करते हैं । संवीक्षक को उक्त संकल्प / प्राधिकरण ई-मेल के द्वारा अपने पंजीकृत ई-मेल से rsaevoting@gmail.com को तथा investor@cameoindia.com एवं बैंक के ई-मेल आइडी investor@iobnet.co.in पर कॉपी मार्क करते हुए सोमवार, दिनांक **11 जुलाई, 2022** तक शाम 4.00 बजे (आइएसटी) तक या उससे पहले भेज दें ।

ज. पते में परिवर्तन :

जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पंजीकृत पते में परिवर्तन की सूचना, यदि कोई है तो, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लि.
(आइओबी – यूनिट)
सुब्रमणियन बिल्डिंग, प्रथम तल,
नं. 1 – क्लब हाउस रोड, चेन्नै – 600 002
टेलीफोन : 044-2846 0390 (छ: लाइनें) / 044-28460395
फैक्स : 044 – 2846 0129 ईमेल : investor@cameoindia.com

इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक के पंजीकृत पते में, कोई परिवर्तन होने पर, उसकी सूचना सिर्फ संबंधित डिपाजिटरी प्रतिभागी (यों) को देने के लिए निवेदन करते हैं ।

झ) एजीएम के दौरान हुई रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग के परिणाम:

संवीक्षक, वार्षिक सामान्य बैठक के ई-वोटिंग समापन के पश्चात, प्रथमत: एजीएम के दौरान दिये गए वोट की गणना करेंगे, उसके बाद एजीएम समापन के 48 घंटों के भीतर, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देना बंद करवाएंगे, पक्ष या विपक्ष में पड़े कुल वोट की समेकित संवीक्षक रिपोर्ट, यदि कोई हो, उनके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या अध्यक्ष, जो उसपर प्रति हस्ताक्षर करेंगे । बैंक अपने वेबसाइट पर रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम के साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के परिणाम का भी घोषणा करेगा और स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित करेगा ।

कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
निदेशक मंडल के आदेश से
-ह/

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 15 जून 2022

(पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Institutional /Corporate Shareholders (i.e. other than individuals/HUF, NRI, etc) are required to send a scanned copy (PDF/JPEG Format) of its Board Resolution or governing body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM on its behalf and to vote through e-voting. The said Resolution/Authorization shall be sent to the Scrutinizer by email through their registered email address to rsaevoting@gmail.com with copy marked to and to the Bank at investor@iobnet.co.in on or before 4.00 p.m. (IST) on Monday, **July 11, 2022**.

h) CHANGE OF ADDRESS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-Indian Overseas Bank)
Subramanian Building,
V Floor, No.1 Club House Road,
Chennai – 600 002
Tel: 044 – 2846 0390 (Six Lines) / 044 – 2846 0395
Fax: 044 – 2846 0129 email: investor@cameoindia.com

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, in their registered address only to their respective Depository Participant(s).

i) RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING AGM:

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of e-voting at the Annual General Meeting, first count the votes cast during the AGM, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and make, within two working days of conclusion of the AGM, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same. The results of the remote e-voting aggregated with the results of e-Voting at the AGM will be announced by the Bank in its website and also informed to the Stock Exchanges.

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

-sd/-

Place: Chennai
Date : June 15, 2022

(Partha Pratim Sengupta)
Managing Director & CEO

व्याख्यात्मक विवरण

कार्यसूची मद सं.2 :

1. वर्तमान में बैंक की अधिकृत पूंजी 25,000 करोड़ रुपये है। 31 मार्च, 2022 को बैंक की प्रदत्त पूंजी रु. 18,902 करोड़ है । 31 मार्च 2022 तक बैंक की पूँजी पर्याप्तता अनुपात, बेसल III के अनुसार 13.83% और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 9.00% (सीसीबी छोड़कर) निर्धारित की गई है । हालांकि, पूंजी पर्याप्तता से संबंधित बेसल III आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, बैंक की पूंजी पर्याप्तता को बढ़ाने और आने वाले वर्षों में बैंक की सामान्य व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पूंजी जुटाने की आवश्यकता बढ़ रही है।

2 प्रदत्त पूंजी बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 3(2बी) (सी) के निबंधनों के अनुसार बैंक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा । तथापि, केन्द्रीय सरकार की धारणा, बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी में किसी भी समय में 51 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

3. एलओडीआर विनियम 2015 का विनियम 41 प्रावधान करता है कि बैंक द्वारा निर्गम या कोई नया निर्गम जारी किया जाता है और शेयरधारकों द्वारा सामान्य बैठक में कोई दूसरा निर्णय नहीं लिया गया है तो वर्तमान शेयरधारकों को भी समानुपातिक रूप से दिया जाना चाहिए। यह संकल्प यदि पारित हो तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक रूप से करने के अलावा, प्रतिभूति आबंटित व जारी करने हेतु बैंक की ओर से मंडल को अनुमति है।

4. संकल्प बैंक को समर्थ करता है कि वह सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमानी निर्गम और/या निजी स्थानन के आधार पर आबंटन के ज़रिए ईक्विटी शेयरों / अधिमानी शेयरों / प्रतिभूतियों के प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन कर सके । निर्गम राशि के कारण बैंक यह सुनिश्चित कर सकेगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय - समय पर निर्धारित पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएं सुदृढ़ हो जाए ।

5. संकल्प यह भी अपेक्षित करता है कि आइसीडीआर विनियमन में उल्लिखितानुसार योग्य संस्थागत खरीदारों के साथ योग्य संस्थागत स्थानन करने हेतु निदेशक मंडल को अधिकार दिया जाए । शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त किए बिना, निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार में आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VI के तहत उल्लिखित इस प्रणाली को बैंक के लिए निधि जुटाने के लिए अपनाएं ।

   आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VI के संदर्भ में क्यूआइपी इश्यू के मामले में , क्यूआइपी के आधार पर प्रतिभूतियों के इश्यू ,केवल एक मूल्य पर बनाया जा सकता है , जो "प्रासंगिक तिथि" से पहले दो सप्ताह के दौरान साप्ताहिक स्टॉक एक्सचेंज में उद्त किए गए शेयरों के उच्च और निम्न औसत से कम नहीं होगा । बशर्ते कि जारीकर्ता गणना की गई कीमत पर पाँच प्रतिशत से अधिक की छूट की पेशकश नहीं कर सकता है , जो विनियमों के विनियमन 172 के खंड (क) में निर्दिष्ट शेयरधारकों के मंजूरी के अधीन है । "प्रासंगिक तिथि" का अर्थ उस बैठक की तिथि से होगा जिसमें बैंक या समिति क्यूआइपी इश्यू को खोलने का निर्णय लेती है ।

6. 31.03.2022 को , बैंक की प्रदत्त पूंजी का 96.38% भारत सरकार व 3.62% पब्लिक धारण करती है । इक्विटी शेयर जारी करके पूंजी

Explanatory Statement

Agenda item No. 2

1. The Authorized capital of the Bank is, at present, Rs.25,000 Crore. The paid up capital of the Bank as on 31st March, 2022 is Rs.18,902 Crore. The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2022, as per Basel III is 13.83% and above the 9.00% (excluding CCB) stipulated by the Reserve Bank of India. However, with a view to comply with Basel III requirements relating to capital adequacy, there is an increasing need to raise capital to shore up the capital adequacy of the Bank and fund the general business needs of the Bank in coming years.

2. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Act will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-one per cent of the paid – up equity capital of the Bank.

3. Regulation 41 of the LODR Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

4. The Resolution seeks to enable the Bank to offer, issue and allot equity shares/preference shares/ securities by way of public issue, rights issue, preferential issue and/or on a private placement basis. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

5. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a Qualified Institutions Placement with Qualified Institutional Buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VI of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

   In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made only at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the equity shares of the same class quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". Provided that the issuer may offer a discount of not more than five per cent on the price so calculated, subject to approval of shareholders as specified in clause (a) of regulation 172 of the regulations. "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

6. As on 31.03.2022, the GOI holds 96.38% and the public holds 3.62% of the paid up capital of the Bank. Raising

जुटाने से बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता को बढ़ाने में मदद मिलेगी जो वर्तमान में प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19ए में निर्धारित न्यूनतम आवश्यक सार्वजनिक शेयरधारिता 25% से कम है । संकल्प के मद संख्या 2 में निर्धारित एक या एक से अधिक किश्तों में इक्विटी शेयर बनाने, ऑफ़र करने, जारी करने और आवंटित करने के लिए बैंक शेयरधारकों के समक्ष एक सक्षम प्रस्ताव का प्रस्ताव कर रहा है ।

7. प्रस्ताव के विस्तृत निबंधन व शर्तें वर्तमान बाज़ार स्थितियों व अन्य नियंत्रक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबन्धकों और हामीदारों और ऐसे अन्य प्राधिकार या प्राधिकारों जैसे आवश्यक है, के साथ परामर्श करके निर्धारित किए जाएंगे ।

8. चूंकि प्रस्ताव के मूल्यांकन का निर्णय बाद की तारीखों के अलावा नहीं लिया जा सकता, अत: जारी किए जानेवाले शेयरों का मूल्य बताना नामुमकिन है। तथापि यह आइसीडीआर विनियमन, अधिनियम और विनियमनों के प्रावधानों, जो समय समय पर संशोधित हैं या अन्य दिशानिर्देशों/ विनियमनों / सहमतियों जो लागू या आवश्यक हो, के अनुसार होगा ।

9. पूर्वोक्त कारणों से, एक संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है जिससे मंडल को निर्गम के निबंधन निर्धारित करने हेतु पर्याप्त अधिकार दिया जा सकेगा ।

10. आंबटित इक्विटी शेयर सभी संदर्भों में लाभांश समेत बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे ।

उपर्युक्त कारणों के मद्देनज़र , जैसा कि वर्णित है, बैंक को विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है । तदनुसार, नोटिस के मद संख्या 2 में रखे गए प्रस्ताव हेतु विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति माँगी जा रही है।

निदेशक मंडल नोटिस में वर्णित संकल्पों को पास करने की संस्तुति देते हैं । बैंक के किसी भी निदेशक की, बैंक में उनकी शेयरधारिता के सीमा की हद के अलावा, पूर्वकथित संकल्प (पों) में कोई दिलचस्पी नहीं है न ही वे उससे संबंधित हैं ।

कार्यसूची सं.3 :

दीर्घ अवधि के संसाधनों द्वारा कारोबार के विस्तार हेतु निधियों की बढ़ती आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया, साथ ही पूँजी पर्याप्तता से संबंधित बेसल III की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए व पूँजी जुटाने की योजना के अनुसार, बैंक अपने कर्मचारियों को **''आइओबी -ईएसपीएस 2022-23''** के अंतर्गत शेयर जारी करने के लिए प्रस्तावित करता है । उक्त प्रस्ताव, यदि आवश्यक हो तो भारत सरकार/ भा.रि.बैं./ सेबी / स्टॉक विनिमयों व अन्य नियामक निकायों से अनुमोदनों के अधीन होता है ।

अब, बैंक ने उन शर्तों व निबंधन पर जैसा कि **''आइओबी -ईएसपीएस 2022-23''** के तहत वर्णित हैं अथवा बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार या ''इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए निदेशकों की समिति" (समिति) के अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों सहित सभी स्थाई कर्मचारियों (''पात्र कर्मचारियों") को इक्विटी शेयर प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है जो

of capital through issue of equity shares would help in increasing the public shareholding in the Bank which is at present below the Minimum required Public Shareholding of 25% as stipulated in Rule 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957. Bank is proposing an enabling resolution before the shareholders to create, offer, issue and allot equity shares in one or more tranches as set out in the Item No.2 of the Resolution.

7. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

8. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Act and the Regulations as amended from time to time or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

9. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

10. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

In the light of the reason as stated above, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a Special Resolution. Accordingly, the consent of the shareholders through a Special Resolution is being sought for the proposal as contained in item no. 2 of the Notice.

The Board of Directors recommends passing of the Resolution as mentioned in the notice. None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

Agenda No. 3

In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources as may be decided by the Board, as also to comply with BASEL III requirements relating to capital adequacy, the Bank proposes to issue shares under "**IOB-ESPS 2022-23**" to its employees. The said proposal is subject to approvals from GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges and other regulatory bodies, if required.

Now, the Bank proposes to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under "**IOB-ESPS 2022-23**" or as may be decided by the Board or Committee of Directors for Issue of Equity Shares (Committee) subject to the applicable Laws, Rules,

कि निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ-साथ लागू विधि, नियमों, विनियमों व दिशानिर्देशों के अधीन होगी :

(i) बैंक की वृद्धि व लाभप्रदता में सहयोग देने के लिए पात्र कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना, बेहतर निष्पादन के लिए उनके प्रयत्नों को बढ़ावा देना;

(ii) बैंक की वृद्धि के लिए पात्र कर्मचारियों को उनके लगातार समर्थन व सहयोग हेतु पुरस्कार देना;

(iii) बैंक में स्वामित्व हित को प्राप्त करने के लिए पात्र कर्मचारियों द्वारा इक्विटी स्वामित्व को बढ़ावा देना ।

आबंटित इक्विटी शेयर सभी संदर्भों में लाभांश समेत बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे ।

एलओडीआर विनियमों का नियम 41 बताता है कि जब कभी भी बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त इश्यू या ऑफर किया जा रहा है तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर वही प्रदान किया जाना चाहिए जबतक कि सामान्य बैठक में शेयरधारक निर्णय अन्यथा नहीं ले लेते। उक्त संकल्प, यदि पास हो जाता है तो वह बैंक की ओर से बोर्ड को वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर प्रतिभूतियाँ प्रदान करने के बजाए प्रतिभूतियाँ जारी व आबंटित करने के लिए अनुमति देगा ।

इसके अतिरिक्त, सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (सेबी विनियम) के विनियम 6 व 14 के अनुसार, बैंक की प्रतिभूतियों को शामिल करते हुए सभी कर्मचारियों की लाभ योजना सेबी विनियमों व इस संबंध में सेबी द्वारा तैयार किए गए अन्य दिशानिर्देशों, विनियमों आदि के अनुपालन में होंगी ।

सेबी द्वारा परिपत्र सं. सीआइआर/सीएफडी/पॉलिसी सेल/2/2015 दिनांकित 16 जून, 2015 में वर्णितानुसार, निम्नलिखित **''आइओबी -ईएसपीएस 2022-23''** के व्यापक निबंधन व शर्तों के साथ होगा :

1. योजना का संक्षिप्त विवरण

बैंक, उन निबंधन व शर्तों पर जैसा कि **''आइओबी -ईएसपीएस 2022-23''** के तहत वर्णित हैं अथवा बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार या ''इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए निदेशकों की समिति" (समिति) के अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों सहित सभी स्थाई कर्मचारियों (''पात्र कर्मचारियों") को इक्विटी शेयर प्रदान करने की इच्छा रखता है , इसके साथ ऑफर के समय, उपयुक्त प्रीमियम के साथ रु.10 के अंकित मूल्य पर 200 करोड़ के इक्विटी शेयरों से अधिक नहीं होना चाहिए ।

2. . प्रदान किए जाने वाले शेयरों की कुल संख्या

200 करोड़ तक की इक्विटी शेयरों को **''आइओबी -ईएसपीएस 2022-23''** के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। हालांकि, **''आइओबी -ईएसपीएस 2022-23''**के अनुसार, किसी पात्र कर्मचारी को प्रदान किए गए शेयर, यदि वे गैर-सब्सक्राइब रहते हैं तो वे इच्छुक पात्र कर्मचारियों को उसी कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसा कि बोर्ड या समिति द्वारा निर्णय लिया जाए ।

3. **आइओबी -ईएसपीएस 2022-23 में भाग लेने व लाभार्थी बनने के हक़दार कर्मचारियों के वर्ग की पहचान करना ।**

Regulations and Guidelines, inter-alia, with the following objectives:

(i) Providing incentive to eligible employees, to stimulate their efforts towards better performance to contributing to the growth and profitability of the Bank;

(ii) Rewarding eligible employees for their continued support and contribution towards the Bank's growth;

(iii) Encouraging equity ownership by eligible employees by providing them with the means to acquire a proprietary interest in the Bank.

The equity shares issued as above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

Regulation 41 of the LODR Regulations provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

Further as per Regulations 6 & 14 of SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 (SEBI Regulations) all employees' benefit schemes involving the securities of the Bank shall be in compliance with SEBI Regulations and any other guidelines, regulations etc., framed by SEBI in this regard.

As per the requirements enumerated in Part B of Schedule I of the SEBI Regulations the following would inter-alia be the broad terms and conditions of the "**IOB-ESPS 2022-23**"

1. BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME:

The Bank desirous to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under "**IOB-ESPS 2022-23**" or as may be decided by the Board or Committee of Directors for Issue of Equity Shares (Committee) subject to the applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter-alia, not exceeding 200 crore worth equity shares at a face value of Rs 10 each with appropriate premium, at the time of offer.

2. TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED

Up to 200 crores worth equity shares are proposed to be offered to the eligible employees under the "**IOB-ESPS 2022-23**". However, the portion of shares offered, pursuant to the "**IOB-ESPS 2022-23**", to any eligible employees, if remains unsubscribed, shall be made available to interested eligible employees at such price, as may be decided by the Board or Committee.

3. IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN THE "IOB-ESPS 2022-23"

बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक समेत बैंक के सभी स्थाई कर्मचारी ।

4. . वेस्टिंग की आवश्यकता व वेस्टिंग की अवधि

लागू नहीं

5. अधिकतम अवधि (विनियमों के विनियम 18(1) व 24(1),जैसा भी मामला हो, के अधीन) जिसके भीतर विकल्प/एसएआरएस/ लाभ प्रदान किया जाएगा

लागू नहीं

6. विकल्प प्रयोग मूल्य,एसएआर मूल्य, क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण फॉर्मूला

विकल्प प्रयोग मूल्य,एसएआर मूल्य, क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण फॉर्मूला

7. विकल्प प्रयोग अवधि तथा विकल्प प्रयोग की प्रक्रिया

निर्गमन / ऑफर की तारीख से एक माह ।

8. ''आइओबी -ईएसपीएस 2022-23" के लिए कर्मचारियों की पात्रता के निर्धारण हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया

शेयरों की ऑफरिंग / निर्गमन की तारीख तक बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक समेत बैंक के सभी स्थाई कर्मचारी लागू विनियामक अपेक्षाओं व दिशानिदेर्शों के अधीन भाग लेने के हक़दार होंगे ।

9. प्रति कर्मचारी व समग्रता में ज़ारी विकल्प, एसएआर 'ओं, शेयरों, जैसा भी मामला हो, की अधिकतम संख्या

बैंक समग्रता में अधिकतम 200 करोड़ की इक्विटी शेयरों को ज़ारी करने का प्रस्ताव रखता है और प्रति कर्मचारी ज़ारी किए जाने वाले शेयर ज़ारी पूँजी के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

10. योजना के तहत प्रति कर्मचारी को प्रदान किए जाने वाले लाभ की अधिकतम प्रमात्रा

चूँकि नए शेयरों का **''आइओबी -ईएसपीएस 2022-23"** के तहत निर्गमन प्रस्तावित है, पात्र कर्मचारियों को कोई अन्य लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।

11. क्या योजना(ओं) को सीधे कंपनी द्वारा कार्यान्वित तथा एडमिनिस्टर किया जाना है या न्यास के ज़रिए

''आइओबी -ईएसपीएस 2022-23" का सीधे बैंक द्वारा कार्यान्वित तथा एडमिनिस्टर किया जाएगा।

12. क्या योजना(ओं) में कंपनी द्वारा नए शेयरों का निर्गमन न्यास द्वारा द्वितीयक अधिग्रहण या दोनों शामिल है

''आइओबी -ईएसपीएस 2022-23" के तहत बैंक नए इक्विटी शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को ज़ारी करेगा।

All permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank

4. REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING

Not Applicable.

5. MAXIMUM PERIOD (SUBJECT TO REGULATION 18(1) AND 24(1) OF THE SEBI REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE) WITHIN WHICH THE OPTIONS / SARs / BENEFIT SHALL BE VESTED

Not Applicable

6. EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA

Purchase price or pricing formula will be determined by the Committee of Directors for Issue of Equity Shares as per SEBI Regulations at the time of offer.

7. EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE

One month from the date of issue / offer.

8. THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE "IOB-ESPS 2022-23"

All permanent employees including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank as on the date of offering/ issue of shares will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

9. MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARs, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE

The Bank proposes to issue maximum of 200 crores worth equity shares in aggregate and shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1% of the issued capital.

10. MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME

As the new shares are proposed to be issued under "**IOB-ESPS 2022-23**", no other benefits will be provided to eligible employees.

11. WHETHER THE SCHEME(S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE COMPANY OR THROUGH A TRUST

"**IOB-ESPS 2022-23**" will be implemented and administered directly by the Bank.

12. WHETHER THE SCHEME(S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE COMPANY OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH

Under the "**IOB-ESPS 2022-23**", the Bank will issue new equity shares directly to the eligible employees.

13. कंपनी द्वारा न्यास को योजना(ओं) के कार्यान्वयन हेतु प्रदान की जाने वाली ऋण की राशि, उसकी अवधि, उपयोग, चुकतान निबंधन आदि:

चूँकि बैंक द्वारा **''आइओबी -ईएसपीएस 2022-23''** के तहत शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को जारी किया जाता है, न्यास के गठन या न्यास को ऋण प्रदान किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

14. **सेकंडरी अधिग्रहण की प्रतिशतता (विनियमों के तहत निर्दिष्ट सीमा के अधीन) जिसे योजना(ओं) के लिए न्यास द्वारा किया जा सकता है**

चूँकि बैंक द्वारा **''आइओबी -ईएसपीएस 2022-23''** के तहत शेयरो को सीधे पात्र कर्मचारियों को ज़ारी किया जाता है, न्यास के द्वारा द्वितियक अधिग्रहण का प्रश्न नहीं उठता ।

15. **कंपनी विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप होगी, इस आशय का वक्तव्य**

बैंक विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप होगी।

16. **प्रक्रिया जिसे कंपनी अपने विकल्पों या एसएआर के मूल्य निर्धारण के लिए प्रयोग करेगी।**

चूँकि **''आइओबी -ईएसपीएस 2022-23''** के तहत सिर्फ शेयर ज़ारी किए जाते हैं, एसएआर के मूल्य निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता।

17. **निम्नलिखित विवरणी, यदि लागू हो:**

यदि कंपनी यथार्थ मूल्य के आधार पर शेयर आधारित कर्मचारी लाभ के विकल्प को नहीं चुनती है तो परिकलित कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत व उचित मूल्य के उपयोग पर आने वाले कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत के अंतर को निदेशक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा और इस अंतर की वजह से कंपनी के लाभ व प्रति शेयर अर्जन (''ईपीएस") पर पड़ने वाले प्रभाव को भी निदेशक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।

बैंक उक्त अपेक्षाओं का आवश्यकता पड़ने पर पालन करेगा ।

लॉक-इन अवधि:

''आइओबी -ईएसपीएस 2022-23'' के तहत ज़ारी इक्विटी शेयरों को सेबी सेबी विनियमों के अनुसार आबंटन की तारीख से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक किया जाएगा । इसलिए बैंक को विशेष संकल्प के ज़रिए शेयरधारकों से सहमति प्राप्त करनी होगी । अत: उक्त प्रस्ताव हेतु आपकी सहमति का अनुरोध है ।

निदेशक मंडल प्रस्तावित विशेष संकल्प के पारित होने को संस्तुत करता है । बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा, यदि कोई हो, को छोड़कर, बैंक का कोई भी निदेशक उक्त संकल्प (पों) के प्रति इच्छुक / संबंधित नहीं है ।

कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
निदेशक मंडल के आदेश से
-ह/-

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 15 जून 2022

(पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

13. THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR IMPLEMENTATION OF THE SCHEME(S) BY THE COMPANY TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS, ETC.;

As the shares are directly issued to the eligible employees under the "**IOB-ESPS 2022-23**" by the Bank, formation of the trust or providing loan to the trust does not arise.

14. MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME(S)

As the shares are directly issued to the eligible employees under the "**IOB-ESPS 2022-23**" by the Bank, secondary acquisition by the trust does not arise.

15. A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE COMPANY SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15

Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15

16. THE METHOD WHICH THE COMPANY SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs

As only the shares are issued under the "**IOB-ESPS 2022-23**", the valuation of options or SARs does not arise.

17. THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE:

'In case the company opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' Report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the company shall also be disclosed in the Directors' Report.

The Bank will comply with the above requirements as and when applicable.

Lock in period:

The equity shares issued under "**IOB-ESPS 2022-23**" shall be locked in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SEBI Regulations. For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution. None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank, if any.

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

-sd/-

Place: Chennai
Date : June 15, 2022

(Partha Pratim Sengupta)
Managing Director & CEO